SHRI MANMOHAN SINGH: Madam, I beg to move:

That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year, 1993-94, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI MANMOHAN SINGH: Madam, I beg to move:

That the Bill be returned

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I must point out over here that this is for the first time that the Rajya Sabha had the reply of the Finance Minister before he made it in the other House. We are also happy that the Finance Minister be belongs to this House. The Home Minister belongs to this House. The External Affairs Minister. The Commerce Minister. Mr. Antony. So, I think we will have most of the replies from this House. This is a very important point which I wanted to bring to the notice of the hon. Members that you have worked hard and achieved something.

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त) : सदर साहिबा, इस हाऊस का वक्त 11 बजे करने के बजाय रोजाना 8 बजे कर दिय जाये (व्यवधान)

†[نیتا وروڈھی دل (شری سکندر بخت) : صدر صاحبہ - اس ہاوس کا وقت ۱۱ بجے کرنے کے بجائے روزانہ ۸ بجے کر دیا جائے - (مداخلت) . . . .]

AN HON. MEMBER: The Law Minister also belongs to this House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Of course, the Law Minister, but I am talking about the Cabinet. There is also Kesriji. There are so many. There is Mr. Ghulam Nabi Azad. Rajya Sabha is very very rich.

THE DEPUTY CHAIRMAN: With the happy note of our having so many Ministers from our House, may I request that we take up the Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Bill, 1994 and the Statutory Resolution?

STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE MINES AND MINERALS (REGULATION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT ORDINANCE, 1994 (No. 2 of 1994) PROMULGATED ON 25TH JANUARY, 1994.

AND

THE MINES AND MINERALS (REGULATION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT BILL, 1994.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): महोदया, मैं सरकारी सदस्यों की बात मान लेता यदि इसमें कुछ गंभीरता नहीं होती । काफी का था, रेकमेंड पहले हो गया, हमने मान लिया, लेकिन यह थोड़ी सी गंभीर बात है । इसलिय मैं मजबूर होकर आपके खाने में कुछ देरी कर दूंगा । टेक्नीकली क्योंकि हिन्दी में नहीं मिला, इसलिये अंग्रेजी में पढ़ता हूं कि :

"That this House disapproves of the Mines and Minerals (Regulation and Development Amendmend Ordinance, 1994 (No. 2 of 1994) promulgated by the President on the 25th January, 1994."

†[]Transliteration in Arabic Script.

महोदया, इस बिल में 11 संशोधन किये गये हैं।...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : उन्हें रजोल्यूशन मूव करने दीजिये, उसके बाद तय कर ली जियेगा कि वह क्या करें। अभी तो यह हो जाय। **(व्यवधान)**...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : चलिये माफ कर दिया।

उपसभापति : कर दिया?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : कर दिया।

उपसभापति : तो आप बैठ जाइये।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इस बिल में 11 संशोधन किये गये हैं। 11 के 11 की मैं गिनती नहीं करूंगा। दो-तीन मुख्य हैं। पहला है कि बिना केंद्र की अनुमति के प्रदेश सरकारों को अनुमति दी जाय कि वह किसी को भी लाइसेंस लीज दे दें। दूसरा, अगर किसी ने काम आरंभ नहीं किया है तो पहले लाइसेंस लीज उसका साल भर में समाप्त हो जाता था, अब इसकी अवधि दो साल हो गयी है। ऐसे ही कुछ और छोटे-छोटे अमेंडमेंट्स हैं जिन पर मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेंडमेंट हैं, उसमें आपने वह क्लाज हटा दी है जिस क्लास में कुछ बंधन थे कि कौन सा आदमी हिन्दुस्तान का नागरिक माना जायेगा या नहीं माना जायेगा, व्यक्ति के ऊपर आपने स्वीकार किया है कि जो यहां का नागरिक न हो वह लीज नहीं ले सकेगा। लेकिन जो व्याख्या है ...**(व्यवधान)**...जरा शोर न मचे तो अच्छा हो।

लेकिन जो व्याख्या है नागरिक की उसमें आपने बड़ा परिवर्तन किया है, जिससे कुछ संदेह पैदा होते हैं और उसका मेल जो आपके आब्जक्शन हैं उससे भी कहीं बैठता नहीं है। जो आपने इसमें डिलीट करने को कहा है उसका मैं यहां पर उल्लेख करूंगा। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि नागरिक की व्याख्या है, नागरिक की उसमें व्याख्या की गयी है कि वह नहीं माना जायेगा–कंपनी ला के अंतर्गत––मैं अगर पूरा पढ़ूंगा तो देर लगेगी, ऐसे ही अगर कोई कंपनी है अथवा कोई संसाधन है उसकी आपने व्याख्या उड़ा दी है, इसका अर्थ यह है कि आप खुली छूट देंगे कि कोई विदेशी आकर यहां पर माइनिंग कर सकता है। इस बात पर मेरा आबजक्शन है। यदि मुझे विश्वास मिल जाय कि इसका उपयोग विदेशियों के द्वारा नहीं होगा तो शायद इससे कुछ समाधान होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है––उद्देश्यों में आपने यह बात कही है और जो आपने मुख्य संशोधन किये हैं, और जिन 11 का मैंने उल्लेख किया है उसमें भी विरोध है। आपने उद्देश्यों में कहा है, मैं पूरा नहीं पढ़ता कि :

> "...to give effect to the principle enunciated in the National Mineral Policy, 1993 it was felt expedient to amend the Act for *inter alia* devolving more powers on the State Governments, providing greater stability of tenure in mining loases and accelerating inflow of domestic and foreign capital as also the state-of-art technology into the mineral sector."

मैं पूछना चाहूंगा कि यदि यह मान लिया जाए कि आपका उद्देश्य विदेशी पूंजी को अन्दर लाने का है तो सवाल यह है कि आपको इस आर्डिनेंस की क्या आवश्यकता थी? आप यह कहते कि राज्यों को अधिकार दिया जाए तो 1993 में आपने यह पॉलिसी घोषित की। 1993–94 के बीच में ऐसी कौन सी घटना हो गई है जिस घटना के कारण आपको आर्डिनेंस लाना पड़ा। इसमें सन्देह होता है। कुछ समाचार पत्रों में भी छपा है। जानकारी है कि कुछ विदेशी कम्पनियों ने कनाडा से, अफ्रीका से कुछ लोगों ने उन्क्वायरी की है। तो इसमें सन्देह यह हो रहा है कि आप शायद किसी ऐसी विदेशी कम्पनीज को जल्दी-जल्दी लाइसेंस देना चाहते

हैं जो आपको एप्रोच कर रही है या कुछ ऐसी निजी देशी कम्पनियां है जो कि आपके साथ तुरंत समझौता करना चाहती है अन्यथा कौन सी आवश्यकता थी कि आप इसको आर्डिनेंस के रूप में लाते। इसलिए मुझे आपका लक्ष्य ठीक दिखाई नहीं देता है। आपका जो लिबरलाइज़ेशन है, सब जानते हैं आपने स्वेच्छा से नही किया है। हम लोग जो कम से कम भाजपा में है, हम लोग लिबरलाइज़ेशन के लिए पिछले 40 साल से कहते चले आए हैं। आपने आई.एम.एफ. के लोन के बाद प्रेशर के अन्दर लिबरलाइज़ेशन किया है तो यह सन्देह पैदा हो रहा है कि यहां जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनकी खोज करने के लिए विदेशियों के लिए आप दरवाजे खोलना चाहते है। यह भी आई.एम.एफ. लोन या जो विदेशी पूंजी आ रही है, उसके कारण है। तीसरी बात, क्या आपने यह स्वीकार कर लिया है कि आज हिन्दुस्तान में ऐसी योग्यता नही है कि आज जो नये-नये औज़ार और नयी-नयी पद्धतियां हैं, उनको देख सकें। अभी बंगाल के अन्दर दुर्घटना कोयला खान में हुई है। क्या टेक्नोलोजी लाने का तरीका यह है कि विदेशी कम्पनियों के लिए आप दरवाजे खोल दें। आपने 50 प्रतिशत की बात कही है। प्रिंसिपल में माना गया है। आपने कहा कि 50 प्रतिशत से ज्यादा कोई फारेन इक्विटी नहीं होगी लेकिन यह होने के बाद भी जो आपने प्रावधान किया है, उससे लगता है कि शायद 50 प्रतिशत इक्विटी की बात व्यवहार में समाप्त हो जाएगी क्योंकि आपने किसी पर कोई रोक नहीं लगाई है। ऐसे आइटम जो केन्द्र ने अपने पास रखे है शायद वहां पर आप रोक लें लेकिन एक कम्पनी यहां आती है और रजिस्ट्रेशन करा लेती है फिर आपके पास उनको रोकने की कोई ताकत नहीं है। आप कहेंगे कि कंडीशन लगाई है 50 प्रतिशत की, जो पहले आपका प्रावधान था वह इससे बेटर था। उसमें आपने कम्पनी की व्याख्या की थी और जितने भी प्रावधान थे, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन यह जो आप कह रहे हैं कि 50 प्रतिशत से ज्यादा इक्विटी नहीं कर सकते, व्यवहार में इसका उल्टा होने की संभावना है। आपके दरवाजे पूरे के पूरे खुल जाएंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य ओब्जेक्शन का यही है कि आपने दरवाजे क्यों खोले हैं, अगर खोले हैं तो आपको आर्डिनेंस की आवश्यकता क्या थी ? आप साल भर तक क्यों बैठे रहे ? यदि आप इसका जवाब दे दें तो मैं विचार कर सकता हूं अपने प्रस्ताव पर अन्यथा यह खतरनाक चीज़ है। इसलिए मैंने इसका विरोध किया है। मैं समझता हूं, जो सरकारी सदस्य है मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि लिबरलाइज़ेशन की पॉलिसी आपने स्वीकार की है, बहुत अच्छा किया है लेकिन क्या हर चीज़ को आप खोल देंगे ? आपने जो सेंट्रल लिस्ट में कुछ चीजें रखी हैं जिसमें खास तौर से ऐसे पदार्थ है जैसे यूरेनियम आदि है, कल अगर आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाए तो क्या आप इसे भी खोल देंगे ? मुझे डर यह लग रहा है कि आप खोल देंगे। जगह-जगह से समाचार आते रहे हैं, बाहर से भी समाचार आते रहे हैं कि यूरेनियम चोरी हो कर खरीदते जा रहे हैं, यदि ऐसा हो गया तो क्या यह चोरी और नहीं बढ़ेगी ? मैं आपका धन्यवाद करता हूं **(व्यवधान)** आप ताली बजा रहे है। या अपना मज़ाक उड़ा रहे है या समर्थन कर रहे हैं इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। अगर अपना मज़ाक उड़ाएं तो मुझे कोई आपत्ति नही है और अगर समर्थन कर रहे हैं तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लिहाज़ा मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कम से कम इस क्षेत्र में आप खुली छूट न दें। यह मेरा एतराज है। जब आप जवाब देंगे, यदि मैं उससे संतुष्ट नहीं हूंगा तो जवाब देने की कोशिश करूंगा।

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री बलराम सिंह यादव**) : उपसभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 का और

संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किए जाए ।"

महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि यह अधिनियम देश में उपलब्ध खनिजों के विकास के लिए कानूनी ढांचे को निर्धारित करता है । मूल अधिनियम के कुछ उपबंधों की उपयोगिता समाप्त हो जाने और बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में यह जरूरी हो गया है कि भारतीय खनिज उद्योग मजबूत बना रहे ताकि विदेशों एवं धातू उद्योगों से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा को चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके । इसके लिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीक लाई जाए और पूंजी निवेश किया जाए ।

खनिज विकास की गति में तेजी लाने के लिए भी यह आवश्यक है कि राज्य सरकारों को और अधिक अधिकार दिए जायें ताकि जहां तक संभव हो सके इस बारे में अंतिम निर्णय राज्य स्तर पर ही ले लिया जाया करे । इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम के वर्तमान उपबंधों की समीक्षा की गई और उसके कुछ उपबंधों में संशोधन प्रस्तावित है जो इस बिल के माध्यम से सदन के सामने विचारार्थ रखे जा रहे हैं ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में इन संशोधनों को लागू करने में विलम्ब, देश के खनिज विकास के मार्ग में रुकावट बन रहा था, अतः प्रस्तावित संशोधनों को तत्काल लागू करना जरूरी हो गया था । चूंकि, संसद के दोनों सदन लोक सभा और राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था इसलिए राष्ट्रपति जी ने 25-1-94 को खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अध्यादेश 1994, (1994 का नवम्बर 2) जारी किया । वर्तमान खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक उस अध्यादेश का स्थान ले लेगा ।

विधेयक द्वारा अधिनियम के प्रथम अनुसूची में अब तक शामिल 15 खनिजों को हटाया तथा पूर्वेक्षण लाइसेंस व खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता को समाप्त किया जा रहा है । अभी तक हटाए गए खनिजों में ऐपेटाइट तथा फास्फेटिक अयस्क, बैराइट्स, डोलोमाइट, जिप्सम, कायनाइट, मैग्नेसाइट, ...(व्यवधान)

उपसभापति : इस पर डिसकशन नहीं होगा । ऐसा है मंत्री जी कि ..(व्यवधान) आपने मूव किया है, मैं आपसे यह बात कहना चाहूंगी कि जो कुछ सवाल माथुर साहब ने उठाए हैं, आप मव कर दीजिए उसके बाद अगर आप जवाब देना चाहें--क्योंकि कमला सिन्हा जी को भी कुछ प्रश्न पूछने हैं..(व्यवधान)

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश) : उन्होंने दरवाजा खोलने के बारे में कहा। उनका दरवाजा कब तक खुलेगा ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसी ने प्रवेश नहीं किया है अभी तक ...(व्यवधान)

उपसभापति : आप क्वेशचन मूव कर दीजिए ।

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री बलराम सिंह यादव**) : तो मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक पर विचार किया जाये

The questions were proposed.

उपसभापति : कमला सिन्हा जी । अच्छा, आपको भी बोलना है । आपका नाम नहीं है मेरे पास ... (व्यवधान)

श्री अन्नतराय देवशंकर दबे (गुजरात) मैं दो तीन मिनट लूंगा ..(व्यवधान)

उपसभापति : मेरी टेबुल पर नहीं है। नैं अभी उनकी रिकग्नाइज कर रही हूं। आप बोल दीजिए कमला सिन्हा जी आप बाद में बोल दीजिएगा । इसमें तकलीफ नहीं है । कागज में नहीं है तो नहीं सही (व्यवधान) एक मिनट में बोल दें ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दुवे : उपसभापति महोदया, मैं ज्यादा बहस नहीं लूंगा ।

अभी यहां मंत्री महोदय पढ़ रहे थे और माथुर जी ने भी कई सावल उठाए । मैं इस बिल का सम्पूर्णतः विरोध कर रहा हूं ...(व्यवधान) विरोध, बिल्कुल, क्योंकि जो आपके स्टेटमेंट्स और आब्जेक्ट्स में बताया है और आप पढ़ भी रहे थे अभी कुछ, कि नेशनल मिनरल पालिसी के मुताबिक आपने यह बिल बनाया है । मेरे पास अभी नेशनल मिनरल पालिसी भी है । मैं उसमें से कई बातें आपको पढ़कर दिखाऊंगा । उनमें से एक भी चीज आपने इस बिल में नहीं ली । कहीं-कहीं, कोई-कोई चीज भी है, लेकिन जो प्रोविजन आपने नेशनल मिनरल पालिसी में की है उसमें से कोई भी नहीं लिया है, क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव रहा है , मैं जानता भी हूं कि जहां तक कोई भी देश को तरक्की करनी होगी तो उसके भूतल में जो मिनरलज पड़े हैं उनका एक्सप्लोयटेशन हमको करना पड़ेगा लेकिन आपने जब यह बिल बनाया आप यह अमेंडमेंट यहां लेकर आए हैं तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने कोई टेक्नीकल रिसर्च के बारे में कोई प्रावधान इसमें नहीं किया है यानी आपने जो मिनरल पालिसी बनाई है उसमें आपने यह बात कही है :

"To ensure establishment of appropriate educational and training facilities for human resources and development to meet the manpower requirement of mineral industry."

आपने कोई प्रावधान इसमें नहीं किया है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है । जो आपने मिनरल पालिसी में यह बताई है 1993 की मिनरल पालिसी में, कोई भी बात नहीं है । एक गंभीर बात की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं और जो बात आपने अपनी पालिसी में की है, जो 7.12 पैरा है उसे मैं उद्धृत करता हूं :

"Small and isolated deposits of minerals are scattered all over the country. These often lend themselves to economic exploitation through small scale mining. With modest demand on capital expenditure and short lead-time, they also provide employment opportunities for the local population."

पर जो रैलैवेंट पैरा है वह यह है... (व्यवधान) चूंकि जो मिनरल्ज डिपाजिट हैं वे देश के बीच के भाग में हैं, बिहार में है, गुजरात में है, राजस्थान में है और वह भी वार्डर एरिया पर है और जहां पर जंगलों में आदिवासी गरीब लोग रहते हैं वहां पर है । लेकिन आपने जो पालिसी में जो कुछ सब कुछ कहा है कि हम गरीब लोगों के लिए शैडयूल्ड कास्ट्स के लिए, शैडयूल्ड ट्राइब्ज के लिए कोई न कोई प्रावधान करेंगे आपकी पालिसी में है, लेकिन जब आप बिल ले करके यहां आए हैं तो एक भी प्रावधान आपने इस बिल में नहीं रखा है । शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए भी नहीं रखा है और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी आपने कोई प्रावधान नहीं किया है ।

मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि आपको इतनी जल्दी क्या है, जब आप नया अमेंडमेंट ले करके आए हैं, 1993 में आपने मिनरल पालिसी बनाई हैं, जब आपने नई मिनरल पालिसी बनाई है और नई मिनरल पालिसी में आपने जो कुछ बातें कहीं हैं, तो आपको यह सब बातें नए अमेंडमेंट बिल में लानी चाहिएं, यह आपने नहीं किया है । लेकिन दो-तीन बातें ही आपने कहीं । जो थोड़े कुछ पावर्ज स्टेट गवर्नमेंट के पास थे वे पावर्स भी आपने ले लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सब ये वीटो पावर्ज आ गए । आपने एक बात यह भी बताई कि जो जब सैन्ट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई सुनवाई नहीं रहेगी उनका डिसिजन फाइनल रहेगा तो मैं कहना चाहता हूं कि हम डैमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमने डैमोक्रेटिक पद्धति अपनाई है तो कोर्ट का भी माध्यम उसमें रखें । आखिरी सुनवाई कोर्ट में होनी चाहिए । यह भी आपने निकाल दिया है और एक बात मैं जो कहना चाहता हूं कि माथुर जी ने कहा कि परदेशियों

के लिए आपने बिल्कुल दरवाजा खुला कर दिया । परदेश के सब लोग यहां आयेंगे । पूरा जो बड़ी-बड़ी खान हैं वह उनके कंट्रक्ट उनके पास रहेंगे और फिर मजदूरों का शोषण होगा । उसमें जो पालिसी में बताया कि मजदूरों की सेफ्टी के लिए हम कोई प्रावधान करेंगे आपने यह बिल में कोई प्रावधान नहीं किया । जब फारेनर्ज यहां आ र हैं वह खान के पट्टे देंगे तो मजदूरों की सेफ्टी के लिए कुछ बातें तो करनी चाहिए । मेरा सुझाव है और अभी भी मैं आपको कहता हूं यह बिल आप वापस ले लीजिए, पूरा कप्रीयेसिव बिल ले करके आइए । आपने 1993 की पालिसी में जो बातें कही हैं सेफ्टी के लिए कहीं हैं, मजदूरों के लिए कही हैं, शैडयूल्ड कास्ट्स और शैकयूल्ड ट्राइबस के लिए कही हैं । और सांइटिफिक रिसर्च के लिए कोई प्रावधान नहीं है । सिर्फ दो-तीन छोटे-छोटे प्रावधानों को लेकर आप यहां आए हैं, इसलिए मैं मेरी पार्टी की ओर से इस बिल का सपूर्ण विरोध करता हू ।

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : मैडम, सरकार द्वारा लाए गए इस माइस एड मिनरल्स रेगुलेशन एड डवलपमेंट अमेंडमेंट बिल, 1994 का मैं विरोध करती हू ।

महोदय, मुझे विरोध करने में कोई विशेष आनन्द नहीं है, लेकिन सरकार का जो रवैया है उसके अनुसार पिछले साल सरकार ने इस विधेयक में थोड़ा-सा सांशोधन लाया था और यह संशोधन था कि कोयला लोहा, और इस तरह की खदानों को निजी उद्योगपति को दे दिया जाएगा । अगर वह पावर सैक्टर के लिए यहां आयेंगे तो यहां कैप्टिव उनको दे दिया जाएगा । उसके बाद यह फिर ला रहे है और इसका उद्देश्य है कि जो कुछ प्रतिबध था, उसको हटाकर विदेशी उश्रोगपतियों को पट्टे पर दिया जा सके, इसके लिए बुला रहे हैं । महोदया, उन्हें सफाई से बात करनी चाहिए । क्यों ये टुकडों-टुकडों में अमेंडमेंट लाते हैं ? एक कांप्रेहैसिव बिल लाए और हाउस को कांफिडेंस में लें कि चाहते क्या हैं और इसका मतलब क्या होगा, नतीजा क्या निकालना चाहते हैं, यह उन्हें कहना चाहिए । अगर वे चाहते है कि पूंजीपति आए और हमारे देश का उद्धार कर दें तो यह बात साफ-साफ कहनी चाहिए ।

We should be taken into confidence.

लेकिन यह मंत्री जी नहीं कर रहें है ।

महोदया, मैं बहुत लंबी-चौडी बात नहीं करना चाहती, लेकिन बिहार के सबंध में दो-चार बातें कहना चाहूंगी क्योंकि बिहार एक मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट है । हमारे प्रांत में 14 मिनरल्स हैं जो कि गवर्नमेंट लिस्ट में हैं । अब गवर्नमेंट की अनुसूची–1 जो है, उसमें कुछ के बारे में लिखा हुआ है, मैं उनके नाम पढकर सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहती लेकिन इस फर्स्ट शेड्यूल में जिनका नाम है, उसके पार्ट-सी में भी कुछ मैटेलिक और नांन-मैटेलिक मिनिरल्स का नाम है । तो बिहार में जो मिनरल्स हैं, उसमें ज्यादातर के नाम फर्स्ट शेडयूल्स में नही हैं, लेकिन बिहार को उसके बदले जो कुल लाभ मिलना चाहिए, वह नही मिलता है । कोयले की रॉयल्टी नहीं मिलती है; वजन के हिसाब से रॉयलटी तय होती है । हम यह डिमांड कर रहैं कि उसकी वैल्यू एडेड प्राइस हो क्योंकि चीजों के दाम बढते जा रहे हैं । रॉ-मैटेरियल मिनिरल्स के दाम बढ रहे हैं, लेकिन वह हमें तोल के हिसाब से देगें । यह बद होना चाहिए ।

महोदया, दूसरी बात यह है कि बिहार प्रांत की सूची में जो मिनरल्स हैं, उसमें सरकार से अनुमोदन लेना पड़ता है और यह अनुमोदन लेने के लिए जब दरख्वास्त दी जाती है तो 8–10 महीने और कभी-कभी सालभर बैठे रहते हैं । नतीजा यह होता है कि बिहार सरकार कुछ काम नहीं कर पाती है । तो मैं यह कहना चाहूंगी कि जैसे इसमें लाइम-स्टोन है, बाक्साइट है, आयरन ओर है, कोल है, और कांपर ओर है,–इन सब में हमेंबत कठिनाई होती है । बिहार और जो अन्य

खनिज उत्पाद प्रांत हैं, उनको बहुत कठिनाई होती है । इसलिए इन सब की अनुसूची-1 के बाहर कर देना चाहिए । यह भारत सरकार के कंट्रोल के बाहर ही जायें और प्रांत की सरकार अपने विवेक से जिसको पट्टा देना हो दे, जिनको पट्टा हीं देना हो तो न दे । महोदया, यह भी एक कारण है जिसकी वजह से म इस बिल का विरोध कर रही हूं क्योंकि जब तक यह भारत सरकार के अधीन रहेगा, भारत सरकार समय-समय पर अनुमोदन करेगी तब-तब प्रांतीय सरकारों को परेशानी झेलनी पड़ेगी । इसलिए प्रांतीय सरकारों को इसकी अनुमति दी जाए और इन सभी खनिजों को अनुसूची–1 से हटा दिया जाए क्योंकि इसमें कोई औचित्य नहीं है । एक तरफ तो आप उदारीकरण की नीति चला रहे हैं, लिबर्लायजेशन की पालिसी चला रहे हैं और बाहर की दुनिया के लिए आप बड़े लिबर्लाइज हैं, लेकिन अपने ही देश के अंदर जो खनिज उत्पादक प्रांत हैं, उनके लिए आपकी उदारता कहां चली गयी है ? आप उनके लिए भी उदार बनें ।

तो सही सब मुझे कहना था और मैं चाहती हूं कि तत्काल इन कामों को किया जाए और विदेशी पूंजीपतियों को अपने खनिजों का मालिक बनने न दिया जाए क्योंकि उससे भारत पर खतरा मंडराएग। इसलिए इन सब बातों को लेकर मैं इस बिल का विरोध करती हूं ।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairperson, I agree with some of the provisions of the Bill but at the same time, I disagree with the other provisions of the Bill. This Ordinance was issued on 25th January, 1994. When everybody knew that the session was going to commence, this Ordinance was not at all necessary. Even though we were pointing it out, the Government was repeating the same mistake every time. They were doing it in such a routine way. In the statement explaining the reasons for promulgating this Ordinance what they have stated is:

"In the meantime, investments in captive coal mines for thermal power plants and other minerals were getting affected for want of amendment in the Mines and Minerals (Regulation and (Development) Act 1957."

This is the reason that they gave. There are two policy statements, one in 1990 and another in 1993. In 1990 the Government enumerated four or five policies. (*Interruptions*)...In the 1990 policy the things enumerated are mineral exploration, development of mineral resources, promotion of research and development, preservation of environment and safety of mining workers. Importance is given to these things. Apart from that, in the 1990 policy, foreign technology and foreign participation in mining operations are given importance. But in the 1993 policy they have totally differed from this. They have not given importance to foreign technology and foreign participation in the mining operation. But they have given importance to equity investment. They want to see that it is implemented and they brought forth this amendment. I quote from the statement:

"To give effect to the National Minerals Policy it became necessary to amend the Mines and Minerals (Regulation and Development) AIt to devolve more powers to the State Governments.

I do agree with this. It continues:

"...provide greater stability of tenure in mining leases...."

Why ? How ? They are going to provide stability by extending the lease period, that is, the prospecting licence period. They are giving more time. They are giving extended time. Previously mica was given only one year. Suppose the Government takes one more year to act it will be over within two years. Now, it has been given five years' time that is prospecting licence. Now, they have ex-

tended the mining lease period from 20 years to 30 years instead of making it between 10 years and 20 years. It means more or less you have bowed to the pressure exerted by the foreign capitalists. Mahatma Gandhi went to London to parcipate in the Round Tabe Conference to see that the British people were sent back lock, stock and barrel. Now, our Prime Minister has gone to London to invite those people to come back to India'. This is nothing but an invitation to establish another East India Company. They have already tried to privatise the nationalised banks, they have already tried to privatise the Oil and Natural Gas Commission, the yhave already tried to privatise each and everything at their command. This is also one of their game plans. I support tne decentralisation part and I stoutly oppose the other parts of the BiBll.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mantriji, the Members have made very relevant points. I have gone through the Bill myself. They are very important. The minerals included atomic energy, etc. Please reply to all the points mentioned here. Mr Mathur has stated a few points. (*Interruptions*)...

आपसे पूछेंगे, माथुर साहब ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जी, मुझे पूछना है।

उपसभापति : आप बाद में पूछ लीजिएगा, उन्हें जवाब तो देने दीजिए, आपकी बातों का।

Let him first answer. Don't disturb him. Mr. Minister, you answer all the points which the Members have raised.

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त) : सदर साहिबा, मैं यह अर्ज करना चाह रहा था कि शायद मिनिस्टर साहब के जी में जवाब देने की जरूरत ही न हो, वे बिल वापिस ले रहें हो ।

†[]نیتا ورودھی دل (شری سکندر بخت): صدر صاحبہ- میں یہ عرض کرنا چاھتا ھوں کہ شاید منسٹر صاحب کے جی میں جواب دینے کی ضرورت ھی نہ ھو- وہ بل واپس لے رھے ھیں -]

उपसभापति : प्वाइंटिड जवाब दे दीजिये, जो सवाल उठाये गये हैं, उनका।

श्री बलराम सिंह यादव : उपसभापति महोदया, आज इस बिल के डिस्कशन में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, वे मैंने नोट किये हैं और मैं समझता हूं कि कोई बहुत कंट्रोवर्शियल बातें आज यहां नहीं उठाई गई हैं। एक-दो मुद्दे मामूली तौर पर उठे हैं। माननीय माथुर साहब ने एक प्रश्न यह उठाया है कि एक वर्ष पहले राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की गई थी और एक वर्ष बाद यह क्या आवश्यकता थी कि यह अध्यादेश सरकार को लाना पड़ा ? महोदया, इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा के बाद चूंकि एक्ट में अमेंडमेंट करना था और यह एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, इस देश के मिनरल वैल्थ के विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण एक्ट है यह और परम्परा भी है कि तमाम राज्य सरकारों से इस संबंध में राय ली जाती है, एक्ट में अमेंडमेंट करने से पहले और जितने भी संबंधित विभाग या मंत्रालय होते हैं, उन सबसे राय ली जाती है। इसके अलावा आपको मालूम है कि यह मामला मिनिस्ट्री आफ लॉ में जाता है और मिनिस्ट्री आफ लॉ उसको बहुत गहराई से देखती है। इसलिए यह स्वाभाविक था कि इसमें समय लगा। महोदया, जो माननीय सदस्यों का यह कहना था कि कुछ विदेशी कम्पनियों के लिए या कुछ खास परटिकुलर इण्डस्ट्रिलिस्ट में कुछ रुचि किसी की है, इस वजह से जल्दी-जल्दी में इस अध्यादेश को लाया गया है, ऐसी बात नहीं है।

†[]Transliteration in Arabic Script.

सरकार ने शुरू से यह प्रयास किया कि एम०एम०आर०डी० एक्ट में संशोधन जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन ये कारण, जो मैंने आपको मेंशन किए हैं, ये अपरिहार्य कारण थे। जब तक हमको सारी स्टेट गवर्नमेन्ट्स से रिपोर्ट न मिल जाती, स्टेट गवर्नमेंट की या केन्द्रीय मंत्रालय की राय न मिल जाती और जो ला मिनिस्ट्री है, उसमें भी टाइम लगा है, तो जो टाइम लगा है, उसकी वजह से इसमें डिले हुआ है और दूसरी और चूंकि नीति घोषित हो गयी थी एक वर्ष पहले और विश्व के तमाम देश, जो आज संशोधन इसमें ला रहे हैं उनकी प्रतिक्षा कर रहे थे। जो हमने अपनी नेशनल मिनरल पालिसी को बदला है, उसका मुख्य कारण यह है कि आज दुनिया के अन्दर जो आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, हमें अपने मिनरल उद्योग को भी दुनिया के उन देशों के सामने खड़ा करना है, हमें उनके सामने एक कम्पीटीटिवनैस में आना है, इसलिए दुनिया के तमाम देश, जब उनको मालूम हुआ, जो खनिज में रुचि रखते हैं और भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर में आना चाहते हैं, भारत के साथ अपने देश में ज्वाइंट वेंचर को स्थापित कराना चाहते हैं, भारत के साथ मिलकर तीसरे देश में ज्वाइंट वेंचर में आना चाहते है, मसलन आस्ट्रेलिया, इंग्लैण्ड, फ्रांस, कनाडा, ये तमाम देश रुचि रखते हैं, . . . (व्यवधान) . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is a very serious subject. The atomic minerals are included in it. We have to think about the safety and security of very rare minerals. Let him speak.

श्री बलराम सिंह यादव : तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारे पास अथाह सम्पदा है। महोदया, बहुत से मिनरल ऐसे हैं जो कि हमारे देश में बहुत बडी तादात में पाए जाते हैं मसलन, कॉपर को आप ले लें। हमारे देश के अंदर कॉपर बहुत बड़ी तादात में और विशाल एरिया में एरिया जाता है।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : (बिहार): मैडम, सारे मिनरल्स इन्हीं अंगूठी में पहन लिए हैं।

श्री बलराम सिंह यादव : और उसके साथ ही साथ गोल्ड जिसमें महिलाओं की विशेष रुचि होती है, महोदया, यह हमारे देश के काफी बड़े एरिया में पाया जाता है। लेकिन समस्या यह है कि यह हमारे देश के अंदर गोल्ड ओर में केवल दो-ढाई परसेंट ही पाया जाता है जबकि वह 4–5 या साढ़े चार, साढे पांच प्रतिशत तक पाया जाए तभी उसमें बायबिलिटी आ सकती है। तो आज अगर हमारे देश को कोई गोल्ड की टैक्नोलोजी दे सकता है, वह इंवेस्ट कर सकता है और मल्टी नेशनल कम्पनीज अगर टैक्नोलोजी के साथ, इवेस्टमेंट के साथ आ सकती हैं तो हम उसका स्वागत करें। इसलिए स्वागत करेंगे कि जहां हमको कुछ नहीं मिल रहा हैं वहां हमको न कुछ तो मिलेगा। जहां तक कॉपर का सावल है, इस देश के अंदर हमारी जरूरत का केवल एक तिहाई पैदा होता है। कॉपर एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटल है, बहुत इम्पोर्टेंट धातु है। महोदया, आज कॉपर हमको विदेशों से इम्पोर्ट करना पडता है। तो अगर हमको टैक्नोलोजी मिलती है, आज हमारा जो कॉपर कन्टेंट है, कॉपर ओर के अंदर एक परसेंट है।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : मैडम, समुद्र में जो पोलि मैटेलिक नोडल्स हैं, इस बिल के तहत क्या उसकी भी माईनिंग कराने का कुछ प्रावधान रखेंगे ?

उपसभापति : वह ओसन डवलपमेंट में आता है।

डा० नौनिहाल सिंह (उत्तर प्रदेश) : समुद्र में भी गोल्ड है । क्या उसके बारे में भी इन्होंने कुछ सोचा है ?

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : मैडम, मैं कह रहा हूं कि कम्प्रहेंसिव बिल लाइए अपनी सारी मिनरल्स पोलिसी के मुताल्लिक ।

उपसभापति : उनको बोलने दीजिए, बात पूरी कर लेने दीजिए ।

श्री बलराम सिंह यादव : कॉपर हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक मैटल है और वह कॉपर ओर में एक परसेंट निकलता है, जबकि दुनिया के उन देशों में जहां कॉपर पैदा होता है उनमें एवरेज कॉपर तीन परसेंट है । हमारे यहां वॉयबिलिटी नहीं है । हमारे यहां जो उत्पादन होता है वह महंगा पड़ता है और दूसरे जो तांबा उत्पादन करने वाले देश हैं, वहां सस्ता पड़ता है । तो हमको अपनी जरूरत के लिए दो हिस्से तांबा दूसरे देशों से इपोर्ट करना पड़ता है । तांबे के मामले में आज आस्ट्रेलिया इंटरेस्टेड है । वह हमारे देश के अंदर टैक्नोलोजी ला सकता है, इंवेस्टमेंट ला सकता है । इससे तांबे का उत्पादन बढ सकता है, हमारी फॉरेन एसक्चेंज भी बच सकती है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम नई टैक्नोलोजी लायें, हम जोइंट वेंचर में अपने देश में दूसरी कम्पनियों को ला सकें और दूसरी सबसे बड़ी जो जरूरत है, महोदया, वह आज यह है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आज दुनियां में हमारे वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी जो यहां बैठे हुए हैं और जो हमारे प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी हैं, वे जो आर्थिक नीतियों में परिवर्तन लाए हैं उसकी पुरे विश्व में प्रशंसा हो रही है । कल ही हमसे आस्ट्रेलिया के अम्बेस्डर मिलने आए थे । उन्होंने हमारी आर्थिक नीतियों में जो परिवर्तन लाया गया है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया है, उसके बारे में उन्होंने स्वत: ही तारीफ करना शुरू कर दिया प्रधान मंत्री जी की और श्री मनमोहन सिंह जी की। तो सवाल इस बात का है कि इस मुल्क में जो खनिज हैं, खनिज उद्योग हैं उसके विकास के लिए यह अमेंडमेंट लाया गया है, यह परिवर्तन लाया गया है ।

श्री अजीत जोगी : यूरेनियम का भी बतला दीजिए ?

श्री बलराम सिंह यादव : जहां तक आपने जो शंकायें जाहिर की हैं कि जो हम यहां पर विदेशी कम्पनियों को एलाउ कर रहे है और उससे आपको खतरा है तथा अभी जो हमारी माननीय सदस्या ने कहा कि इससे विदेशियों का कब्जा हो जाएगा इस देश के ऊपर या मिनरल्स वैल्थ के ऊपर, तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने दिमाग में वह शंका बिल्कुल निकाल दें कि कोई भी विदेशी कम्पनी जो टैक्नोलोजी के साथ, इवेस्टमेंट के साथ भारत के अंदर आएगी, तो वह हमारे जो कानून हैं वह कम्पनी उन कानूनों के गवर्न होगी। हमारा जो कंपनीज एक्ट है, कंपनी ला है, वह उन पर लागू होगा । हमारी पार्टी.....

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : कौन-सा कानून लागू होगा ? इतना बता दें कि कंपनी ला का कौन-सा सेक्शन लागू करेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव : उनको कंपनी लॉ कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना पडेगा । हमारे कानून उन पर एप्लीकेबल होंगे ...(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : बताइए तो सही, कौन-सा कानून है ?

श्री बलराम सिंह यादव : कंपनी लॉ के अंतर्गत रजिस्टर होंगे तो उन पर हमारा कानून लागू होगा । इसलिए यह आशंका निकाल दीजिए ...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): He is not the Law Minister. He can't be expected to answer this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has come with a Bill to convert the Ordi-

nance. Let him answer the queries of the Members.

श्री बलराम सिंह यादव : आप विरोध के लिए विरोध कर रहें हो । मैं समझता हूं कि आप स्वतः इस बात को महसूस करते हैं कि यह बिल इस देश के मिनरल्स के विकास के लिए बहुत आवश्यक है । लेकिन आपको विरोध करना है इसलिए कर रहे हैं, आप हृदय से प्रसन्न है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो इक्विटी पार्टिसिपेशन में आयेंगे तो हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि किसी भी तरह से भारत को उससे नुकसान नहीं हो सकता है । उसका अहित नहीं हो सकता है । हमारे कानून . . .

उपसभापति : वह पूछ रहे थे कि कौन-सा कानून गवर्नमैंट का लागू होगा . . . (**व्यवधान**)

श्री बलराम सिंह यादव : कंपनी ला जितने हमारे देश के अंदर लॉज है, उनसे वह गवर्न होंगे । . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: In this Bill, you have brought a lot of minerals which are going to be exploited . . . . (*Interruptions*)

SHRI VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra): Madam, we have a comprehensive set of laws. All the companies are governed by the Company Law. And the companies which indulge in mineral activities are governed by the various Acts of the State Governments; the Acts which have been passed on the exploration of minerals. Apart from that, whatever these people, those who indulge in the exploration of minerals, do, is also governed by the various Acts of the Government of India. For example, we have the Indian Explosives Act. . . (*Interruptions*) We have the Factories Act. . (*Interruptions*)

उपसभापति : जवाब उन्हें देना है, सवाल उनसे किया है, आप बैठिए । . . . (**व्यवधान**)

SHRI VISHVJIT P. SINGH: I am only supporting.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know you are supporting. The Members are concerned about one thing. Say, when the country was occupied by the foreign forces, it was not that they were fond of us; they were fond of our resources. That is the reason why the Members are concerned. I am sure that all of you are concerned. The Minister should give that assurance. What safeguards is he going to give?

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Madam, I may be permitted to say one thing. I think it is not fair that the mineral resources of the country should be allowed to be exported without proper finishing because, otherwise, we will not even get good prices for them abroad. We must get the proper international prices for our goods. And the only way we can get it is by indulging in international competition. There is no other way. The only way we can indulge in international competition is when we have technology upgradation, and technology upgradation is possible only with the entry of these companies. There is no other way. . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, are you replying on behalf of the Minister? She expects the Minister to say all these things. Your assurance will have no meaning. The Minister's assurance has a meaning.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: This is not my assurance. This is purely my view point.

श्री बलराम सिंह यादव : महोदया कमला सिन्हा जी ने यह कहा है कि शैड्यूल एक में जो मिनरल्स है उनको और तमाम सभी मिनरल्स को निकाल कर राज्य सरकारों को दे दिया जाए । महोदया ऐसा हो नहीं सकता इसलिए कि ये जो मिनरल्स शेड्यूल एक में हैं इनमें बहुत से स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं । इनमें से बहुत से राष्ट्रीय महत्व के मिनरल्स हैं । इसलिए सभी मिनरल्स को राज्य सरकारों को सीधे स्वीकृत करने के लिए नहीं दिया जा सकता ।

जहां तक सरकार का प्रश्न है, हमने फसला लिया है कि जो हमारे पास शेड्यूल-1 में मिनरल्स हैं उनमें से हम स्वत: ही बहुत से राज्य सरकारों को उनकी मांगे बिना देने जा रहे हैं। इन्होंने जो रायल्टी के बारे में कहा है तो यह रायल्टी वजन के आधार पर तय न हो कर मूल्य के आधार पर तय होना चाहिए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पहले रायल्टी जो है मूल्य के आधार पर ही तय हुआ करती थी लेकिन अनुभव के आधार पर ऐसा हुआ कि इसमें बहुत से लिटिगेशंस हो गए और सभी राज्य सरकारों ने एक मत से केंद्रीय सरकार से यह आग्रह किया कि रायल्टी मूल्य के आधार पर तय न करके इसको वजन के, मात्रा के आधार पर तय किया जाए। तब से मात्रा के आधार पर रायल्टी का सिस्टम चल रहा है। मैं समझता हूं जब राज्य सरकारों की तरफ से कोई मांग इस तरह की नहीं है तो यह करना उचित नहीं है। मैं समझता हूं इसमें सारे विभागों को और सारे राज्य सरकारों की राय ली जा चुकी है इसलिए कोई कंटरोवर्सी का प्रश्न नही है। माननीय सदस्य ने कुछ टेक्नीकल रिसर्स वगैरह वगैहरा की काफी बातें कहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट में इसकी सुनवाई हो ऐसा है कि आपको शायद समझ में नहीं आया जो मैं अमेंडमेंट लाया हूं इस एक्ट के अंदर। मैंने एक्ट में अमेंडमेंट यह रखा है कि जो माइनर मिनरल्स स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में हैं, उन माइनर मिनरल्स में जो डिस्प्यूट होते थे उसकी अपील हमारे यहां जो ट्राइब्युनल्स हैं गवर्नमेंट आफ इंडिया के अंदर उसमें अपील हो सकती थी। हमने महसूस किया कि जब हम राज्य सरकारों को अधिकार दे ही रहे हैं, माइनरल मिनरल्स जो उनके अधिकार क्षेत्र में हैं क्यों न हम इन्हीं के अपील वगैरह का राइट्स उनको ही दे दें। इसलिए उनको अपील का अधिकार जो है या जो डिस्प्यूट हो वह अपने यहां ही तय करें, केंद्र में यहां पर भागने की जरूरत नहीं है, इससे समय की बर्बादी ही है। यह तमाम संशोधन बहुत सोच-समझ कर राष्ट्र के हित में, खनिज के विकास के हित में लाए गए है। मैं अपील करूंगा यह कृपा करके अपना निरनुमोदन का प्रस्ताव वापस ले लें और सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस हमारे संशोधन को पास कर दें।

उपसभापति : आपने पार्ट-बी के बारे में नहीं कहा

It is very important. There have been allegations that some atomic minerals have been stolen. You have not answered that.

श्री बलराम सिंह यादव : महोदया यह जो अटोमिक मिनरल्स होते हैं यह एम एम आर डी एक्ट के मेजर मिनरल्स के शैडयूल्स-एक में आते हैं। इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो अटोमिक अनर्जी से संबंधित मिनरल्स होते हैं उनका संबंध मिनिस्ट्री आफ माइन्स से नहीं है। (व्यवधान)

उपसभापति : आपके अंडर मे नही है तो आप क्यों लायें ?

If it is not under your jurisdiction, then why is it included under this?

श्री बलराम सिंह यादव : यह शेडयूल्स एक में है . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Why there is concern is because we have our neighbours who have got the capability to produce atomic weapons and they may try to steal these.

श्री बलराम सिंह यादव : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मिनिस्ट्री आफ माइन्स . . .

There is no nomenclature in the Government of India as the Ministry of Atomic Energy.

श्री बलराम सिंह यादव : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मिनिस्ट्री आफ माइन्स जो है यह नान अटोमिक, नान फैरस मिनरल्स को डील करती है और सब दूसरी मिनिस्ट्री करती हैं। वह अटोमिक एनर्जी मिनिस्ट्री . . .

उपसभापति : मिनिस्ट्री नहीं डिपार्टमेंट।

श्री बलराम सिंह यादव : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शैडयूल्स-एक के अंदर अटोमिक एनर्जी से संबंधित मिनरल्स है। अभी हमने जो मिनरल्स पालिसी लिबरलाइज की है जिसमें करीब 13 मिनरल्स जो पब्लिक सैक्टर के लिए सुरक्षित थे उनको मिनी क्षेत्र के लिए खोला है। तो खासतौर से क्योंकि यह अटोमिक मिनरल इसलिये जो मिनरल पालसी है उसमें भी हमने इसक रिजर्वेशन रखा है कि इसको किसी प्राइवेट को नहीं दिय जा सकता है। डिपार्टमेंट आफ अटोमिक एनर्जी से इसक ताल्लुक है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: But these minerals will not be given to foreign companies.

श्री बलराम सिंह यादव : नहीं नहीं दिया जा सकत है

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not written anywhere.

श्री बलराम सिंह यादव. मैंने आपको बताया है कि इसको हमने प्राइवेट एक्सप्लाइटेशन के लिये नहीं खोला है।

श्री ए स० एस० अहलुवालिया हो गया, हो गया।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ho gaya is all right but it is not written anywhere.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : खास तौर से अहलुवालिया जी से निवेदन करूंगा कि वे हर चीज को हल्के ढंग से न लें। हो गया हो गया चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप बात सुनिये।

महोदय, मैं मंत्री महोदय के उत्तर से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। इसका कारण यह नहीं है कि हम लोग इसका यों ही विरोध कर रहे हैं मैंने बार बार पूछा था कि आप कंपनी ला का बता दीजिये आपके एक्सपर्ट बैठे हुए हैं लेकिन आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं पढ़कर सुनाता हूं जो डिलिट करना चाहते हैं। इंडियन सिटिजन की जो परिभाषा है जिस पर रूकावट थी जो वह है वह पढ़िये। भारद्वाज जी, ला मिनिस्टर है वे समझेंग। . . . . (व्यधान) . . . . रजिस्ट्रशन क्या थी।

SHRI V. NARAYANASAMY: For explosives, there is a separate enacment.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, it is not for explosives.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI SIKANDER BAKHT): He is taking it too lightly.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: About Indian citizen, it is written here and I quote: "In case of a public company as defined in the Companies Act, 1956, only if the majority of directors of the company are citizens of India and unless 60 per cent of the share capital thereof is held by persons who are either citizens of India or companies defined in such Act" Then, "(2) In the case of a private company, as defined in the said Act, only if all the members of the company are citizens of India..."

आप इसको डिलिट कर रहे हैं। इंडियन सटिजन का आपने जो बताया, कंम्पनी ला में, जिसकी मैं बत कर रहा हूं यह उसमें लिखा है. . . (व्यवधान) . . शोर मचाने का यह कोई तरीका नहीं। अलुवालिया जी जरा ढंग से बात करें। खामखाह शोर मचाने का काम न करें।

उपसभापति माथुर साहब, झगड़ा न करिये। कोई भी चीज लड़ाई गुस्से से नहीं सुलझ सकती है झगड़े गुस्सा मत करिये गुस्सा करने से बात नहीं सुलझती। आप सवाल पूछ लीजिये, मंत्री जी जवाब देगें बोलिये, गुस्सा मत करिये।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मंत्री जी पहले खड़े हो गये, मुझे पहले पूरी बात कहने दीजिये । मंत्री जी बैठिए, मुझे पूरी बात कहने दीजिये ।

श्री बलराम सिंह यादव : आप जो कह रहे हैं.....

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अजीब तरीका है यह ।

उपसभापति : ही इज राइट टु रिप्लाई : मंत्री जी जो रेजाल्यूशन होता है तो मूवर को हक है कि वह रेजोल्यूशन का जवाब दे और उसको इस बात का हक है कि वह अपनी बात बोल सके । तो वह अपनी बात बोल रहे हैं । आप उनको सुन लीजये । जब वे बोल लेंगे तब आप उनका जवाब दे दीजियेगा । बोलिये माथुर साहब । गुस्से से मत बोलिये ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अलुवालिया जी, हर बार, हर वक्त शोर मचाते हैं उन्हें ढंग से बात करने की आदत ही नहीं है । क्या करें, एक हद होती है एक सीमा होती है ।

उपसभापति : माथुर साहब बोलिये । ...(**व्यवधान**)...आप गुस्सा मत करिये । यह बहुत सीरियस मामला है, देश का मामला है, आप बोलिये ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपने जो रिस्ट्रिक्शन बताई है, जो पहले थी वह आपने बतायी लेकिन आप यह बताने का कष्ट करें कि कौनसी रिस्ट्रिक्शन नबर 1, पूजी के ऊपर होंगी ? पहले पूंजी के ऊपर 40 परसेंट की रिस्ट्रिक्सन थी कि इससे ज्यादा एक्वटी नहीं हो सकती थी । लेकिन अब आपने आटोमेटिक 50 परसेंट कर दिया है । और वह रिस्ट्रिक्शन हट गयी है । अब कोई भी विदेशी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर दे तो आप उसको कैसे रोकगे ? मुझे बताइये । दस पाकितानी आ गये, जो आप डकल प्रपोजल मनारहे हैं, उसमें है कि यूकेननाट, आप किसी विदेशी आदमी को नहीं रोक सकगे ... (**व्यवधान**)... दस पाकिस्तान के आ जाय... (व्यवधान).

THE DEPUTY CHAIRMAN: I request Members to take the matter seriously. It is a question of concern for our country.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अब डंकल प्रोपोजल का दुनियां में जो नक्शा बन रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में देखने की कृपा करें । आप क्या यह आश्वासन देंगे कि कितनी पूंजी यहां से वापिस बाहर ले जा सकेंगे, इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा है कितने मिनरल्ज ले जा सकते हैं और इसकी रोकथाम आप कैसे करेंगे कि केवल कोयला देख सकते हैं । अब बिहार में तो कोयले के इलावा यूरेनियम भी देख सकते हैं, आप इसकी रोकथाम कैसे करेंगे ? अगर वह यूरेनियम भी देखने लग जाएं तो आप उनको कैसे रोकेंगे ? आपने क्या कोई सर्वे कराया है ? कितना आपके पास पोटेशियल है और कितनी आपने तैयारी की है । मुझे नहीं लगता कि आपने कोई तैयारी की है । आपने तो खोल दिया है क्या आपने जोलोजिस्ट्स से या स्पेशलिस्ट्स से सर्वे करवा कर देखा है कि कौन सा मिनरल कहां पर है ? क्या आप यहभी स्पेसिफाई करेंगे कि इस क्षेत्र में जा सकते हैं और इस क्षेत्र में नही जा सकते है ? अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हू । अगर आप करने पर उतारू ही है तो कम से कम एक कानून कायदा बनाइये सिगल विडो बनाइये । कुछ तो कम कीजिये । अपने जो डिलीशन किया है इसके बाद आप किसी विदेशी को यहां पर खुले-आम काम करने दें तो उस पर रोक कैसे लगाएंगे ? नम्बर दो, आप किस प्रकार से यह आश्वासन देंगे कि यह कितनी पूंजी यहां से बाहर ले जा सकते है या कितना मेटिरियल यहां से बाहर ले जा सकते हैं ? तीसरा, इसके नाम पर जासूसी कर के जो चोरी-चकोरी न हो, इसके लिये क्या आश्वासन देंगे ? यह तीन आश्वासन मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं । अत में कोई नक्शा ज्योलोजिस्ट या एक्सपर्ट से बनवाया गया है या नहीं अगर नहीं तो कब बनवाएगे । ? सब से अंत में मैं यह जानना चाहूंगा कि इस विषय में रुल्ज बना कर कब सदन के सामने लाएगें ?

उपसभापति : माननीय मंत्री जी, इन चार पांच सवालों का आप जवाब दे दीजिये ।

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Madam, can you permit me to intervene?

THE DEPUTY CHAIRMAN: You cannot intervene. I am sorry. It is not right (*Interruptions*) This is not a debate where you can intervene. You could have spoken, as a Member, when the question was open Now, the hon. Minister has to reply. I cannot allow Members to just up and intervene. Let him answer. Later on, if you want to say something, I will permit you. But, first, let the Minister reply to the points raised by Mr. Mathur.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Okay; after the Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will permit you, but let us have some procedure.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: I wanted to put some questions to the Minister, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will permit you.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: After he has spoken: no problem.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If there are too many questions, he might get confused.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: It is all right.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him reply to Mr. Mathur first.

श्री बलराम सिंह यादव : उपसभापति महोदया, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि कोई भी मल्टीनेशनल कम्पनी जो भारत में खनिज उद्योग के लिए ज्वाइंट वेंचर कर के आएगी, उस कम्पनी को भारत के जितने भी कानून हैं, उन कानूनों का पालन करना पड़ेगा। कम्पनी एक्ट के तहत उसको भारत के अन्दर अपनी कम्पनी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चाहे वह हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर में आए, चाहे किसी निजी कम्पनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में आए या किसी प्राइवेट इण्डस्ट्रियलिस्ट से ज्वाइंट वेंचर करे। जो आप दलील दे रहे हैं वे सारे सेफगार्ड लिये जायेंगे जब वह कम्पनी यहां अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगी। दूसरा जो आपने यह कहा कि एरिया कौन-कौन सा है, कौन सा एरिया स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसका सर्वे हो चुका है। ज्योलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया ने सारा एरिया आईडेंटीफाई किया हुआ है। यह सरकार को मालूम है और ब्यूरो आफ माइंस को मालूम है, सबको मालूम है कि कौन कौन सा एरिया है। यदि आप डिटेल चाहें, तो आप स्पेसेफिक एरिया की डिटेल लिख कर भेज दें, तो मैं आपको सूचित कर दूंगा कि कौन सा मिनरल कहा है और कितना पाया जाता है। जब कोई विदेशी कम्पनी आएगी तभी उसके साथटर्म्स एंड कण्डीशन्स मुचुअल एग्रीमेंट के तहत तय होंगे। वह यदि भारत सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर में आयेगी या किसी प्राइवेट कम्पनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करेगी तब सारे टर्म्स एण्ड कंडीशन्स तय होंगे। अभी पहले से टर्म्स एण्ड कंडीशन्स तय नहीं हो सकते है। इसलिये मैंने इन तीनों प्रश्नों के उत्तर माननीय सदस्य को दे दिया है।

उपसभापति : विश्वजीत सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे।

श्री संघ प्रिय गौतम : (उत्तर प्रदेश) : मैडम, एक मिनट मुझे दीजिए।

उपसभापति : एक मिनट ठहरिये।

I have to allow Mr. Vishvjit Singh. I asked him to restrain himself. Let him speak.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Madam, I would like to seek a clarification from the hon. Minister. From what I see in this Bill, as it was introduced, my understanding is that, originally, there were 38 minerals in the Schedule. In this Schedule the atomic minerals have also been included. The Schedule has been divided into parts and 15 minerals have been excluded. Now only 23 minerals are left in that Schedule. Eleven atomic minerals are given in part (b) of the Schedule. That is my understanding. My further understanding is that in exploration of these atomic minerals, will have to be under the provisions of the relevant Act which deals with ato-

mic energy. There is a separate Act dealing with atomic minerals and permission etc. will have to be taken under that Act. This Act merely provides the Schedules and this Schedule has been given because 15 minesals have been removed from this Schedule. Is my understanding correct? I would like the hon. Minister to clarify.

उपसभापति : यही सवाल पूछा जा रहा था, मंत्री जी, जोनी यह इन्होंने क्लेरीफिकेशन दिया है, अप अंडरस्टेंडिंग का, आप उससे सहमत हैं या नहीं।

श्री बलराम सिंह यादव नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि यह फ्यूल और एटामिक मिनरल्स जो हैं, उनकी जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज है, वे ही इनको एडमिनिस्टर करती हैं और फ्यूल तथा एटामिक एनर्जी के जो पटटे, लीजेज वगैरह हैं, वे ही रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज देखती हैं।

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Clause 12 of this Bill says, "For this Forist Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be substituted, namely; the First Schedule." And then the Schedule has been divided into three parts. My understanding is that out of 38 minerals 15 minerals have been omitted from the principal Schedule.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI (Rajasthan): What is the Government's understanding?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: There is one more confusion. Nowhere has it been mentioned that atomic minerals will not be leased out. They will be leased out subject to the approval of the Central Government. It is given in clause 3 of this Bill, but the Minister said that it will not be given.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAD): There is no difficulty, I can clarify this. Kindly see clause 3 wherein it is said that "A State Government shall not grant..." So, there is a prohibition on the State Government. It says, "a State Government shall not grant a prospecting licence or mining lease to any person unless such person..." Then there are conditions that unless such a person is an Indian national or a company defined in sub-section (1) of section 3 of the Companies Act, 1956.

And this is very important where the Minister can lay emphasis, that is, "satisfies such conditions as may be prescribed." So, in addition to the first safeguard there is another safeguard that conditions can still be imposed. In regard to the First Schedule there is a specific safeguard given in the proviso that is,

> "Provided that in respect of any mineral specified in the First Schedule, no prospecting licence or mining lease shall be granted except with the previous approval of the Central Government."

So, this area has been kept in the custody of the Central Government. The State Governments cannot do this. So, the First Schedule has been doubly protected. The State Governments are not competent to grant licences. These are the safeguards against giving licences arbitrarily to other people. Therefore, there is nothing to give away to multinationals. The Central Government preserves the First Schedule under its own jurisdiction.

SHRI VITHALBHAI M. PATEL (Gujarat): But it will have serious repercussions.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Can the Central Government give to foreign multinationals? We do not want to give that power to the Government.

SHRI H. R. BHARDWAJ: The Central Government has taken this exclusive power to itself, and that is a matter of policy. Schedule A is very important. These are matters in which the Central

Government does not allow the State Government ...(*Interruptions*)..

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two different points.

...(*Interruptions*)..

SHRI H. R. BHARDWAJ: We are debating these provisions; we are not debating the policies which are not relevant to you. Now, these are two areas where some of the mining has been passed on to the States.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are not disputing that. I will explain, because there is confusion.

SHRI H. R. BHARDWAJ: With regard to that policy, I am not aware. But there is one policy, that foreign companies, even till today, in some areas they cannot come unless the majority are Indians. But this area of mining in Schedule A is totally with the Government of India and nobody else.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The problem in the minds of the Members is not the State Government or the Central Government. The question is of foreign Governments. It has nothing to do with the State or the Central Governments. The questions is, when you allow people to come to India to explore, will these very important atomic minerals also be within the jurisdiction of the foreign nationals to explore and take away? This is the worry.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Madam, there is no question of anybody except the Central Government.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI S. B. CHAVAN): Under this Act, it can't be done.

SHRI H. R. BHARDWAJ: It is very clear in the Act.

श्री बलराम सिंह यादव : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो फर्स्ट शैड्यूल में है.... (व्यवधान)।

उपसभापति : अभी जरा ध्यानसे सुन लीजिए।

श्री बलराम सिंह यादव : जो सूची-I के मिनरल्ज हैं वे पूर्णतया भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं और बगर भारत सरकार की स्वीकृति के उनकी लीज नहीं दी जा सकती। जहां तक एटामिक मिनरल्ज का सवाल है, यह सवाल जो है, यह किसी भी कीमत पर किसी भी बाहरी को नहीं दिया जा सकता। ... (व्यवधान)।

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Madam, today the State is the proprietor of the minerals, and the Central Government has to take it on lease. By this amendment the Central Government will have the right and the States will have to depend upon the Centre. This will be concentration of power. This will be detrimental to the States' interests...(*Interruptions*)... If the Central Government wants the minerals, it has to take it on lease and it will have to pay royalty to the States.

...(*Interruptions*)..

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Why should the State be deprived of it?

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra): Madam, this undoubtedly raises a very, very important point so far as the federal structure of our country goes. Now there is a valid point taken, why the States should be deprived of these things, particularly when we are going increasingly towards decentralization of power. It is very, very important. If we cannot trust the States, there is no use saying that only the Central Government will do it ...(*Interruptions*)... The Sarkaria Commission's report on the point of decentralisation..

(*Interruptions*)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Madam, the ethos of this thinking is one. This is irreplaceable...(*Interruptions*)... Please, Mr. Bhandare, may I have your cooperation?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am listening, please go on.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: The point is, this is irreplaceable natural wealth which our country has given us If this goes off the record I do not mind. Whatever safeguards or the systems of the checks that we boast of, have been collecting dust in libraries and in other officialdoms because we do not implement them. There are no cognizable preventive checks until there is a disaster. We always start talking of them after some disaster happens The Minister in his great enthausiasm is making many statements, but I want to know when a State in this country cannot have mining lease of certain minerals on its own, which will mean revenue to the State, you sell the autonomy and independence of the State. When you deprive an Indian States of its own rights you are very willing to bring in foreign collaboration and you have no control as to how they will over-exploit the mining lease. And by the time we cry hoarse, our earth would have been robbed. We have no preventive checks for any of these. In our great haste we are saying we want technology, we want progress. I would say do not lose what is in your hands first. This is not a Neem tree or a tobacco plant, which you can plant and grow again. Once mining is finished, it is closed for ever. I am giving you an example. He says he has done a survey. Between Orissa and Andhra border there is a priceless ruby mine. International agencies are sitting in our country to see that we do not open that mine because international gem price will drop. Everybody knows how the diamond market is maintained internationally. You have one family managing to entire show. This ruby mine has been suppressed. Neither Orissa benefits, nor Andhra benefits. It is a Naxalite infested area. I have gone there and I have got photographs of the areas, where illegal mining is going on in full scale with the official of the Government. This raw ruby stone is coming like any junk. They are being used casually as paperweights on Government office tables and the Government is turning a blind eye. But the mining is going on and the priceless wealth is being depleted. Part of that mine-stone is being illegally supplied to Indian jewellers, who are marketing it as Vietnamese and Thai rubies. It is fairly O.K. What is the solution to this? This is without haveing externer people pokig their nose in our business. This is the situation now. I do not know if the Minister knows about it. If he knows, what has he done about it? If no does not, what does he suggest to do about it. You can tell me of any number of regulation but thy are never translated into reality. So, that is a meaningless effort Since we could not monitor the child labour, we have legitimised it. You want to legitimise it with foreign collaborations. Why can't you buy technology or obtain a transfer of technology. Why can't our people go and get trained. Why I say this is because it is irreversible. If is for ever. Once you end up with this, there is nothing to talk about in the House that makes sense. I say with these rubies we can build bridges and bring about water management in our State. Why don't you bring in water management to the country as a whole? We have a drinking water problem. Why nobody talks of this problem? It is because we need to keep people poor and thirsty.

"पानी नहीं देंगे, तो वोट नहीं देंगे।"

This is my question. I am sure 10,000 amendments will not help unless you have the will to implement them into action

श्री एस० एस० अहलुवालिया : महोदया, खान और खनिज विनियमन और विकास संशोधन विधेयक के बारे में यह जो चर्चा चल रही है, इसमें विपक्ष का यह भय है कि विदेशी व्यवसायी आएंगे और यह उनके आधिपत्य में चला जाएगा। उसे रोकने के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं रखा गया

है और दूसरी तरफ यह प्रश्न उठ रहा है कि राज्य सरकारों के हाथों से उनका अधिकार छीना जा रहा है ।

महोदया, आज तक इस मुल्क में इन खनिज पदार्थों को छोड़कर कोयला निकाला जाता रहा है । मैं बिहार से आता हूं, जहां कोयला निकाला जाता रहा है, जिसको काला सोना कहा जाता है देश में, ब्लैक गोल्ड । जो यह कोयला निकाला जाता है, केन्द्र सरकार से उसकी लीज मिलती है,. (**व्यवधान**) . . उसकी रायल्टी सिर्फ राज्य को मिलती है । . (**व्यवधान**) . .

श्री बिट्ठलभाई मोतीराम पटेल : नहीं लीज स्टेट गवर्नमेंट देती है । क्या बात कर रहे हो ? . (**व्यवधान**) .

श्री एस० एस० अहलूवालिया : मुझे बोलने दीजिये । उसकी परमीशन केन्द्रीय सरकार देती है, चाहे वह कोयला खदान है चाहे आयरन है, हमारे जितने स्टील प्लांट हैं, स्टील पर जितने भी प्लांट हैं, हमारी कोपर माइन्स है, कोपर के जितने जैसे हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड है, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड है, कहां से परमीशन और रायल्टी देते हैं ? अगर प्रावधान करके केन्द्र सरकार ऐसे खनिज पदार्थों को निकालने की कोशिश कर रही है, जो राष्ट्रीय संपदा है, जो राष्ट्रीय संपदा धरती के नीचे गड़ी है, हम ऐसी राष्ट्रीय संपदा का खनन करने के लिए अगर किसी तरह से बाहर से तकनीक लाने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसे व्यावसायियों को लाने की कोशिश करते हैं तो क्या है ? और फिर उसमें लिखा हुआ प्रावधान है कि उसका संबंध या तो ज्वायंट वेन्चर में होगा या किसी एक ऐसे भारतीय नागरिक के साथ में, व्यापारी के साथ में होगा, जिसके साथ मिलकर काम होगा । . (**व्यवधान**) . .

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : कहां लिखा है ? कहां लिखा है, बताइए । बिल में आप बताइए कि भारतीयों के साथ ज्वायंट वेन्चर कम्पलसरी है, लिखा है । बताइए, कहां लिखा है कि ज्वाइंट वेन्चर कंपलसरी है । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री एस० एस० अहलूवालिया : यह इसमें लिखा है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या लिखा है ?

उपसभापति : पढ़िए ।

श्री एस० एस० अहलूवालिया : यह लिखा है पेज 2 पर, अधिनियम की धारा 5 में--

"(i) कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा तब तक अनुदत्त नहीं करेगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति --

(क) भारतीय राष्ट्रिक या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित कोई कंपनी नहीं है, और

(ख) ऐसी शर्तें पूरी नहीं करती है जो विहित की जाएं : . . . ."

. . . . (**व्यवधान**) .

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : वह निकाल दिया है । हम क्या पूछ रहे हैं आखिर ? . (**व्यवधान**) . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is being leleted. This is not being included.

यह जो प्रावधान था सुरक्षा का, वह डिलीट हो गया है । . . (**व्यवधान**) . . .

श्री एस-एस० अहलूवालिया : महोदया इसके तहत कहा जा रहा है, केन्द्र सरकार अपने पास . . (**व्यवधान**) . . . क्या हम सदस्य यहां बैठकर यह समझते हैं कि केन्द्र सरकार को चलाने वाले सारे चोर हैं और सदस्य ईमानदार लोग बैठे हैं । ऐसी बात नहीं है : सरकार हमारे साथ है । . . . (**व्यवधान**) . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Everybody, please sit down.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह क्या बोलने है । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री बिट्ठलभाई मोतीराम पटेल : यह ऐसा नहीं चलेगा । यह गलत बात है । . . . (**व्यवधान**) . .

श्री एस. एस. अहलुवालिया : महोदया, हम भी इस देश के नागरिक है, किसी और देश के नहीं । ऐसी शंका पैदा करना गलत बात है । जो भी प्रावधान रखे गए हैं, सोच समझकर रखे गए है । आखिर केन्द्र सरकार भी अगर किसी को लाइसेंस देती है या किसी को परमीशन देती है तो . . . (**व्यवधान**) . . .

SHRI VITHALBHAI M. PATEL. If the Central Government increases royalty on coal, they should also have powers to cancel the lease.

उपसभापति : एक मिनट सुनने दीजिए, प्लीज । . . . (**व्यवधान**) . . . .

श्री एस. एस. अहलुवालिया : किसने परमीशन दिया ? केन्द्रीय सरकार ने परमीशन दिया । . . (**व्यवधान**) . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia, don't enter into an argument. .(*Interruptions*). . Can we have same order in the House?

अहलवालिया जी, यह जो आप पढ रहे है, निकाल दिया गया है । इसी की शंका है । . . . (**व्यवधान**) .

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Madam, you can go for voting.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will go for voting.

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडम दो मिनट, प्लीज । उपसभापति, महोदया, मैं सदन के सदस्यों का ध्यान इस ओर खीचना चाहूंगा । देखिए, हम सब जितने भी यहां संशोधन लाते हैं या विधेयक ला रहे हैं, इसमें 50 परसेंट फोरनर्स के लिए ला रहे है । हमारा सीधा मंशा यह है कि सरकार के पास पैसा नहीं है और विदेशी लोग यहां आकर अपना पैसा लगाएं । हम जो यह काम करते हैं, पैसे की वजह से करते हैं, लेकिन मै यह कहना चाहता हूं कि हम इससे देश के लिए खतरा भी पैदा कर रहे हैं क्योंकि हम देश के भेद खोल-खोलकर उनको दे रहे हैं। दूसरे हम देश में रोजगारी की समस्या पैदा कर रहे हैं ।

National security and national employment are supreme.

इसलिए यह दोनो चीजें इसमें आगे है । मैडम, यह जो 1993 की नेशनल माइन्स पालिसी है गवर्नमेंट की, . . . मेरे लायक दोस्त ने ध्यान दिलाया होगा, मैं पढ़ना चाहता हूं, एक सेंटेंस है . . . (**व्यवधान**) . . .

उप सभापति : वह नेशनल पालिसी पढ़ दी है ।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं दूसरी बात कह रहा हू । इस मे लिखा है They also provide employment opportunities for the local population.

लेकिन होता क्या है कि ये जितनी भी ऐसी कम्पनिया आती है, ये अपने साथ अपने एम्प्लाइज पहले ही ले आती है और वहां के लोगों को एम्प्लायमेंट नहीं मिलता । मैं एक कमेटी में गया था और मैंने देखा था जाकर के कि वहां बाहर के सब लोग थे और जिनके खेत उजाड़े गए, जिनकी जमीनें ली गई, वे आदिवासी कोई भी एम्प्लाइमेंट में नहीं लगाए गए । आगे क्या कहते हैं In grant of mineral concessions for small deposits in Scheduled Areas, preference shall be given to the Scheduled Tribes.

ये क्यों नहीं कहते कि There shall be reservation for them.

प्रिफरेंस का क्या मतलब है ? जितना प्रिफरेंस लिख दें लेकिन देते नहीं है उनको । इसलिए मैडम, मुझे तीन बातें कहनी है । मैं खत्म कर रहा हूं । मंत्री जी का उत्तर स्पष्ट नहीं है और सत्ता पक्ष के लोग आपस में एकमत नहीं है, इसलिए आप इस विधेयक को वापिस करा दीजिए लोक सभा को ।

उपसभापति : मंत्री जी अगर कुछ जवाब दे सकते हों . (**व्यवधान**) . .

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, मैं एक जुलाम पूछना चाहता हूं कि आप सैक्शन 5 "ए" और "बी" डिलीट क्यों करना चाहते है, इसकी वजह क्या है ? और कुछ न इधर-उधर जाइए, आप सिर्फ यह बताइए क्योंकि इस डिलीशन से आप दुनिया भर के लिए दरवाजे खोल रहे हैं । आप यह बताइए कि इसकी क्या जरूरत पड़ गई आपको ?

†[شری سکندر بخت: صدر صاحبہ۔

میں ایک جملہ پوچھنا چاہتا
کہ آپ سیکشن اے ۵ اور بی
ڈلیٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ اسکی
وجہ کیا ہے ۔ اور کچھ نہ ادھر ادھر
جائیے آپ صرف یہ بتائیے کیونکہ
اس ڈلیشن سے آپ دنیا بھر کے لئے
دروازے کھول رہے ہیں ۔ آپ یہ
بتائیے کہ اسکی کیا ضرورت پڑ گئی
آپ کو ۔]

उप सभापति : कौन सा सेक्शन ?

श्री सिकन्दर बख्त : सेक्शन 5 ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : : यही तो मेरा मुख्य सवाल था कि डिलीट क्यों कर रहे हैं ? इनको समझ नहीं आ रहा । . . . (**व्यवधान**) .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now please keep quite. The Minister wants to clarify.

श्री बलराम सिंह यादव : महोदया, यह डिलीशन नहीं किया गया है बल्कि इंडियन नेशनल के अलावा कोई भी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर है, अब माइनिंग का काम कर सकती है । . . . (**व्यवधान**) .

उप सभापति : वही तो पूछे रहे हैं . . (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : वही तो मैं पूछ रहा हूं कि क्यों है यह ?

उप सभापति : एक मिनट माथुर साहब, । मुम्सा मत कीजिए । . . . (**व्यवधान**) . .

Let me explain. Mr. Virumbi, have patience. I will request the hon. Members to have patience and if everybody speaks simultaneously in different voices, the Minister cannot understand what you are saying. I have been listening to everything. I can explain to him the concern expressed by the Members so that we can at least find some way.

मंत्री जी, इनकी शंका सिर्फ इस बात पर है कि अभी तक जो आपका ओरिजनल एक्ट है, सैक्शन 5 में आप "ए" और "बी" पढ़िए, उसमें लिखा है कि "हिन्दुस्तानी कंपनी और हिन्दुस्तानी लोग होने चाहिए", अब आप इसको डिलीट करने के बाद यह बोल रहे है कि "फोरेन कम्पनीज", जो यहां रजिस्टर्ड हो जाएं, " हो सकता है कि आप उनके लिए प्रावधान करें कि उनकी अंडरस्टेंडिंग आपके साथ क्या हो, मगर इस डिलीशन के बाद कोई भी फोरेन कंपनी हिन्दुस्तान में रजिस्टर्ड होने के बाद हमारी मिनरल वैल्थ को, चाहे वह एटोमिक मिनरल वैल्थ ही क्यों न हो, उसको एक्सप्लोयट कर सकती है, यह उनकी शंका है, इसके बारे में आप क्या कह रहे है । . . . (**व्यवधान**)

I am not asking you. I am asking the Minister. Let him answer. When you become a Minister, I will allow you.

श्री बलराम सिंह यादव : इस के बारे में मेरा निवेदन यह है कि जो एटोमिक मिनरल्स हैं, उनके एक्सप्लोयटेशन, एक्सप्लोरेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती ।

†[]Transliteration in Arabic Script.

उपसभापति : किस रूल के तहत नहीं दी जा सकती ? आपके कहने से या खाली आपने एश्योरेंस से दिया, या आपके हाथ में, कोई ऐसी ताकत है जिस से आप उनको रोक सकते हैं ?

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडम,

उपसभापति : आप फिर चुप रहिए, प्लीज ।

श्री बलराम सिंह यादव : महोदया, जो एटोमिक रेग्यूलेशन एक्ट है, उसके तहत ऐसा नहीं किया जा सकता । इसलिए उनको उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती ।

उपसभापति : पर, आपको तो मालूम होना चाहिए कि किस रूल के तहत है ?

श्री सिकन्दर बख्त: वह दोनों सेक्शन क्यों डिलीट कर रहे हैं ? उनको यह बतलाना चाहिए, साफ करना चाहिए ।

†[شری سکندر بخت : وہ دونوں سیکشن کیوں ڈلیٹ کر رہے ہیں - انکو یہ بتانا چاہئے - صاف کرنا چاہئے -]

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him reply so that there is no confusion.

SHRI V. NARAYANASAMY. Madam; clause (b) says "satisfy such conditions as may be prescribed".

THE DEPUTY CHAIRMAN: What are the conditions prescribed?

SHRI V. NARAYANASAMY: The conditions will be prescribed only in the rules.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him answer, Mr. Narayanasamy, Everybody is giving his own interpretation. The Minister should give his interpretation because he has understood it. The Minister has gone through the Bill. He has discussed it with all the Ministries. He has discussed it with the Law Ministry. ... (*Interruptions*) . . . Don't give your own interpretations. (*Interruptions*) . .

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, the Bill says. . . (Interruptions) . . .

SHRI JAGESH DESAI: I am satisfied, but if the interpretation is not what he says: will the Government come again with an amendment? ...(*Interruptions*) . . . . .

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Madam; I have a submission to make. This Bill has some sort of controversy and we have certain reservations and the Minister is trying to reply, but I think he needs more time. We can take it tomorrow.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Tomorrow we don't have any time. I am sorry. Tomorrow is a Private Members day. Tomorrow we are going to have retiring Members' speeches in the morning.... (*Interruptions*)..We don't mind sitting late because it is a question of giving our wealth to foreigners; we can sit for ten minuttes. Let him answer. If he can answer within two minutes, we will prefer to have voting.

श्री बलराम सिंह यादव : महोदया, जैसा कि आपसे निवेदन किया था कि डिपार्टमेंट आफ एटोमिक एनर्जी के अंतर्गत एटोमिक रेग्यूलेशन एक्ट आता है और इन संशोधनों का एटोमिक मिनरल्स की लीज को मल्टी नेशनल कम्पनीज को देने का प्रावधान नहीं है और फिर भी मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई बात आखिर सामने आएगी तो जो भी आवश्यक संशोधन कानून में करने की आवश्यकता होगी, वह कानून में किया जाएगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is the only thing which was needed.

अगर आप यह बात पहले ही कह देते तो इतनी बात नहीं होती ।

श्री सिकन्दर बख्त : हमारे एतराज को सिर्फ एटोमिक मिनरल्स के साथ जोड़ा जा रहा है । हमारा कहना यह है कि

†[]Transliteration in Arabic Script

आपने वह दोनों के दोनों सेक्शन क्यों डिलीट किए हैं ? हमारा एतराज सिर्फ वह नहीं है कि वे बाहर के लोग आएंग और हमारी एटोमिक मिनरल्स को भी एक्सप्लोएट कर सकते है । क्यों उनको डिलीट किया है, मिनिस्टर साहब बता नहीं पा रहे हैं । क्या बात है ?

†[شری سکندر بخت : ہمارے اعتراض کو صرف ایٹیمک منرل کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے - ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپنے وہ دونوں کے دونوں سیکشن کیوں ڈلیٹ کئے ہیں - ہمارا اعتراض صرف وو نہیں ہے کہ وہ باہر کے لوگ آئینگے اور ہماری ایٹیمک منرلس کو یوی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں - کیوں انکو ڈلیٹ کیا ہے - منسٹر صاحب بتا نہیں پا رہے ہیں - کیا بات ہے -]

उपसभापति : एटोमिक का मामला तो तय हो गया : मगर उनका कहना यह है कि बाकी जो दूसरे मिनरल्स हैं, वह भी कम कीमती नहीं हैं । उसके बारे में आपने क्या सेफगार्ड रखे हैं, वह भी बता दीजिए तो बात खत्म हो जाएगी ।

श्री सिकन्दर बख्त : सेफगार्ड मौजूद थे तो उनको क्यों हटाया गया है ... (**व्यवधान**)

†[شری سکندر بخت : سیف گارڈ موجود تھے تو انکو کیوں ہٹایا گیا.. (مداخلت) ...]

उपसभापति : बोलने दीजिए उनको, गुस्सा नहीं किया करते ।

श्री बलराम सिंह यादव : महोदया, ऐसा है कि कोई भी कंपनी चाहे वह देशी हो, चाहे वह विदेशी कंपनी हो, अगर वह गलत काम करेगी, देश के हित के खिलाफ काम करेगी, भारत के हित के खिलाफ काम करेगी तो इस एक्ट के तहत केंद्र सरकार को राईट है कि वह किसी भी समय उसकी माईनिंग लीज को टर्मनेट कर सकती है ... (**व्यवधान**) इसलिए इसकी पूरी देखभाल रखी जाएगी, बाकायदा इस पर नजर रखी जाएगी ।

पूरी नजर रखी जाएगी और अगर कोई बात ऐसी पाई जाएगी किसी कंपनी के साथ कि वह भारत के खिलाफ काम कर रही है तो उसकी लीज खत्म कर दी जाएगी ।

उपसभापति : मंत्री जी आप अभी भी नहीं समझे हैं । सवाल बहुत साधारण है कि आपने दो प्रावधान, जो मैंने पढ़कर बताए आपके पुराने एक्ट में, थे जो आपने दिया है कि 5 के अंतर्गत ए और बी , आपने वह क्यों निकाले ? आपके पास सेफगार्ड्स पहले से मौजद थे । उनको निकालने की क्या आवश्यकता हो गई ? वह बता दीजिए तो बात खत्म हो जाएगी ।

श्री बलराम सिंह यादव : महोदया, 5-ए को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं अधिनियम के अनुसार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही खनन पटटा या लीज दी जाएगी । कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी के बारे में अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार यह आवश्यक है कि कंपनी के निदेशों में भारतीय नागरिकों की बहुलता हो तथा कम से कम 60 प्रतिशत शेयर कंपनी के पास हों । हमारे खनिज संसाधनों के विस्तार को बढ़ाने के लिए उपलब्ध अधिनियम में तकनीक और निवेश की आकर्षित किया जाना चाहिए । इस लिए यह 5-ए में संशोधन करना चाहते है ताकि इन प्रतिबंधों को हटाया जा सके ताकि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में वर्णित किसी भी कंपनी को संभावित लाइसेंस खनन पट्टा दिया जा सकता है ... व्यवधान)

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : पहले तो रिस्ट्रिक्शस थी जब तो किसी भी कंपनी को इजाजत दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या विधेयक को लानेते समय डंकल प्रपोजल्स के परिनाक जो होने वाले हैं उनके बारे में आपने सोचा ? क्या उसका अध्ययन आपने किया है

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think we have taken enough time. (*Interruptions*)

†[]Transliteration in Arabic Script.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप रोक नहीं सकते ... (**व्यवधान**)

उपसभापति : बहुत हो गया लेकिन अगर इस देश की संपत्ति चली जाएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। लोगों को इसकी फिक्र है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कहीं कभी लगेगी तो दोबारा यहां पर बिल लायेंग। मंत्री जी आप सुनिए। आपने कहा है कि अगर कहीं आपको कमी लगेगी तो आप एक दूसरा संशोधन बिल ला सकते हैं इस हाउस में और जो मैंबर्स ने शंकायें प्रकट की हैं उनको आप ध्यान में रखिए।

श्री बलराम सिंह यादव : कहीं भी कोई अगर आवश्यक समझा जाएगा तो निश्चित रूप से लाया जाएगा। ... (**व्यवधान**)

सदर साहिबा, मैं जो डिलीट कर रहे हैं इस को आप विदड्रा कर लीजिए, इस में इतनी परेशानी क्या है ? Why are you insisting on the deletion of the section? (Interruptions)...

†[زہرا وردھی دل (شری سکندر بخت) : صدر صاحبہ - یہ جو ڈلیٹ کر رہے ہیں، اسکو آپ وڈرا کر لیجئے اسمیں اتنی پریشانی کیا ہے -]

श्री जगदीश प्रसाद माथुर. मैं समझ रहा हूं, उधर के लोग भी मेरे साथ ... (**व्यवधान**)

श्री सिकन्दर बख्त : अपोजिशन चाहेगा कि वह डिसीजन वापस लें।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: What he is stating is from the original Act. Clause 2 of the original Act has been omitted. The proviso of original clause 2 reads: "No mining lease shall be granted to the State Governments unless it is satisfied that there is evidence to show that the area for which the lease is applied or has been prospected earlier and the existence of the mineral contents in the area has been established."

†[]Transliteration in Arabic Script.

"Provided that nothing in this clause shall apply to any area.."

Madam, this proviso has been omitted, not the other one. We have not understood it. This provision of Section 2 has been omitted. It has been clarified. This is the confusion. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please listen to it seriously. (Interruptions). Mathurji, are you withdrawing the Statutory Resolution or pressing for vote?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं देख रहा हूं कि उधर के साथी भी पूरे संतुष्ट नहीं हैं और मंत्री महोदय का यह आश्वासन कि आवश्यक हुआ तो हम संशोधन करेंगे यह इस बात को इंगित करता है कि वह स्वयं आज के बिल से पूरे संतुष्ट नहीं है। इसलिए मैं कहना अपना प्रस्ताव वापस नहीं लेता। मैं जानता हूं आप बहुमत के आधार पर वापस कर लेंगे लेकिन मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपनी कांशस के अनुसार प्रोटेस्ट करूंगा और अपना वोट दूंगा। रिकार्ड में होना चाहिए कि हम इसके विरोध में हैं इसलिए मैं डिसीजन मांगता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: All right. I shall now put the Resolution moved by Shri Jagdish Prasad Mathur to Vote.

The question is:

"That this House disapproves of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Ordinance, 1994 (No. 2 of 1994) promulgated by the President on the 25th January, 1994."

The House divided.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ayes..17

Noes..48

Ayes--17

Bakht, Shri Sikander
Bhandari, Shri Sunder Singh
Chellappa, Shri V. Rajan
Chowdhury, Shrimati Renuka
Dave, Shri Anantray Devshanker
Gautam, Shri Sangh Priya

Giri Prasad, Shri N.
Kohli, Shri O. P.
Mani .Shri S. Muthu
Mathur, Shri Jagdish Prasad
Mohanty, Shri Sarada
Rajagopal, Shri O.
Singh Dr. Naunihal
Sivaji, Dr. Yelamanchili
Viduthalai Virumbi, Shri S.
Solanki, Shri Madhavsinh
Yadav, Shri Ram Naresh

Noes—48

Abrar Ahmed, Dr.
Adik, Shri Govindrao
Ahluwalia, Shri S. S.
Alva, Shrimati Margaret
Antony, Shri A. K.
Barongpa, Shri Sushil
Bhardwaj, Shri Hansraj
Bhatia, Shri Madan
Chavan, Shri S. B.
Chowdhury, Hari Singh
Dard, Shri Jagir Singh
Desai, Shri Jagesh
Dhawan, Shri R. K.
Faguni Ram, Dr.
Ghufran Azam, Shri
Hanumanthappa, Shri H.
Hariprasad, Shri B. K.
Hiphei, Shri
Jayadevappa, Shri K. R.
Kailashpati, Shrimati
Khaparde, Miss Saroj
Korwar, Shri Gundappa
Lenka, Shri Kanhu Charan
Mahendra Prasad, Shri
Majumdar, Shri Sudhir Rajan
Malaviya, Shri Radhakishan
Manmohan Singh, Shri
Meena, Shri Moolchand
Mishra, Shri Shiv Pratap
Mohammad Yunus, Shri
Narayanasamy, Shri V.
Pachouri, Shri Suresh
Parmar, Shri Rajubhai A.
Patel, Shri Vithalbhai M.
Patil, Shri Shivajirao Giridhar
Pillai, Shri Thennala Balakrishna
Rafique Alam, Shri
Ramachandran, Shri S. K. T.
Razi, Syed Sibtey
Sahu, Shri Santosh Kumar
Sanadi, Prof. I. G.
Sarma, Shrimati Basanti
Satchidananda, Shri
Satya Bahin, Shrimati
Singh, Shri Vishvjit P.
Thakur, Shri Rameshwar
Verma, Shrimati Veena
Yadava, Shri Bal Ram Singh

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by the Minister to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration"

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 to 13 were added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI BALRAM SINGH YADAV: Madam, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.